राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 453, 454, 455, 456, 457 व 458/2017............ जिला.......जयपुर..................................

उनवान : मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–III, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
24/03/2017	अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः 238, 239, 240, 241, 242 व 243/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2016–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधियों में **'रोगन बादाम शीरीन ऑयल'** की बिक्री वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या–43 **'ड्रग एवं मेडिसिन'** के अन्तर्गत मानते हुए 5/5.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी है, जबकि उक्त माल वेट अधिनियम की किसी भी अनुसूची में इंद्राजित नहीं है। अतः सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25/26, 55 व 61 के तहत दिनांक 22.02.2016 को पारित करते हुए 9/9.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 38(4), अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 15.03.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया गया तथा कर व ब्याज की राशि वसूलनीय अवधारित की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी **लगातार.............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 453, 454, 455, 456, 457 व 458/2017............ जिला.......जयपुर

उनवान : मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–III, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.03.2017

व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में कर व ब्याज की बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
453/17	2011–12	6,69,993	4,35,495	13,39,986	14,74,003
454/17	2012–13	16,36,591	8,67,393	32,73,182	23,40,324
455/17	2013–14	18,04,978	7,40,041	36,09,956	23,64,521
456/17	2014–15	22,14,241	6,42,130	44,28,482	26,34,946
457/17	2015–16	24,94,797	4,24,115	49,89,594	26,69,432
458/17	2016–17	3,96,895	23,814	7,93,790	3,81,109

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर